1973

G-4

13-11-19

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय का पता–लक्ष्मी निवास पैलेस के पास, लालगढ़ रोड, बीकानेर (राज.), दूरभाष नंबर– 0151–2226551, ई–मेल–aayukt.ele@gmail.com

क्रमांक–शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/G/2019–20/19752/मूल पत्रावली/333 दिनांक–13/11/19

संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा .... (समस्त)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
स्कूल शिक्षा .... (समस्त)

जिला शिक्षा अधिकारी (मु.)
प्रारंभिक शिक्षा
.... (समस्त)

विषय–राजस्व ग्राम/ढाणी के नाम में संशोधन उपरांत राप्रावि/राउप्रावि के नाम परिवर्तित करने के संबंध में ।

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार राजस्व ग्राम के नाम में परिवर्तन होने के कारण राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम उसी राजस्व ग्राम से किये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा जिशिअ(मु.)प्राशि से प्राप्त प्रस्ताव शासन को परीक्षण उपरांत प्रेषित किये जाते हैं । वर्तमान में निदेशालय में इस प्रकार के प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं जिनमें राजकीय विद्यालय का नाम भामाशाह/दानदाता/भूमि समर्पित करने वाले/अन्य किसी व्यक्ति विशेष की ढाणी के नाम से किये जाने हेतु निवेदन किया जाता है । ऐसे प्रकरणों का निदेशालय स्तर पर परीक्षण किया गया एवं यह पाया गया कि कुछ प्रकरण ऐसे प्राप्त हो रहे है जो राज्य सरकार द्वारा जारी भामाशाह व दानदाताओं के नाम से विद्यालयों के नामकरण करने के जारी निर्देशों के अंतर्गत नहीं आते हैं । ऐसे प्रकरण अस्वीकर किये जाने के उपरांत संबंधित जिशिअ(मु.)प्राशि, प्रकरण को व्यक्ति विशेष नाम की ढाणी के अनुसार किये जाने हेतु प्रकरण तैयार कर निदेशालय को बगैर परीक्षण प्रेषित करते रहे हैं ।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा राजस्व ग्राम/ढाणी के नाम में संशोधन उपरांत राप्रावि/राउप्रावि के नाम परिवर्तित करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं–

1. **राजस्व ग्राम के नाम अथवा ढाणी के नाम पर विद्यालय का नामकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार के आदेश की प्रति संलग्न करना अतिआवश्यक है जिसमें राज्य सरकार द्वारा उक्त राजस्व ग्राम/ढाणी का नाम परिवर्तित किया गया है । राज्य सरकार के आदेश के बिना किसी भी विद्यालय का नाम राजस्व ग्राम/ढाणी के नाम पर परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।**
2. फॉरवर्डिंग पत्र पर संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिशिअ/जिशिअ(मु.)प्राशि की स्पष्ट अनुशंषा आवश्यक है । केवल अधिनस्थ कार्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव को फॉरवर्ड करने को ही अपना दायित्व ना समझे, अपितु प्रस्तावों का परीक्षण कर सही पाये जाने की स्थिति में ही प्रस्ताव निदेशालय को स्पष्ट अनुशंषा सहित प्रेषित करें, प्रस्ताव अपूर्ण होने पर आप अपने कार्यालय स्तर पर ही निरस्त करें । साथ ही आपके कार्यालय के फॉरवर्डिंग पत्र में विद्यालय का नाम परिवर्तित किये जाने के कारण का अवश्य उल्लेख करें ।
3. प्रस्ताव के साथ विद्यालय SMC का अनुशंषा सहित पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करें । साथ ही ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
4. राजस्व ग्राम के नाम अथवा ढाणी के नाम पर विद्यालय का नामकरण किये जाने हेतु फारवर्डिंग पत्र में निम्नलिखित प्रारूप की पूर्ति की जानी सुनिश्चित करें–

विद्यालय के वर्तमान नाम का विवरण	विद्यालय का संशोधित किये जाने वाले नाम का विवरण
विद्यालय का वर्तमान नाम–	विद्यालय का संशोधित नाम–
विद्यालय का वर्तमान ब्लॉक–	विद्यालय का संशोधित ब्लॉक–
विद्यालय की वर्तमान ग्रा.पं.–	विद्यालय की संशोधित ग्रा.पं.–
विद्यालय का वर्तमान राजस्व ग्राम–	विद्यालय का संशोधित राजस्व ग्राम–
विद्यालय की वर्तमान ढाणी का नाम जहां	विद्यालय की संशोधित ढाणी का नाम जहां विद्यालय

334

विद्यालय संचालित है (अगर विद्यालय का नाम परिवर्तन ढाणी के नाम से किया जाना है उसी स्थिति में विद्यालय की वर्तमान ढाणी के नाम का उल्लेख करें)– विद्यालय का वर्तमान डाईस कोड–	संचालित किया जाना प्रस्तावित है (अगर विद्यालय का नाम परिवर्तन ढाणी के नाम से किया जाना है उसी स्थिति में विद्यालय की संशोधित ढाणी के नाम का उल्लेख करें)– विद्यालय का संशोधित डाईस कोड–

5. प्रकरण जिनमें विद्यालय के नाम के साथ भामाशाह का नाम जोड़ा जाना है साथ ही राजस्व ग्राम का नाम भी संशोधित किया जाना है, ऐसे प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्व ग्राम का नाम परिवर्तन करने का प्रस्ताव नियमानुसार तैयार कर इस कार्यालय के शैक्षिक अनुभाग को वाहक/ई–मेल/डाक के द्वारा प्रेषित करें। विद्यालय का नाम राजस्व ग्राम के नाम पर परिवर्तित होने के उपरांत ही विद्यालय का नाम परिवर्तन भामाशाह/स्वतंत्रता सैनानी आदि के नाम पर किये जाने हेतु पृथक प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय के सामान्य प्रशासन अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रेषित करें ।
6. विद्यालय के नाम परिवर्तित किये जाने संबंधी प्रकरण में इस बात का आवश्यक रूप से उल्लेख करें कि विद्यालय के स्थान में किसी प्रकार का संशोधन हुआ है अथवा नहीं ।
7. समस्त प्रस्ताव उपरोक्त दिये गये निर्देशों एवं इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए अनुशंषा सहित इस कार्यालय को प्रेषित करें । अगर प्रस्ताव में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो प्रस्ताव मूल ही लौटा दिया जायेगा ।

इसके उपरांत भी अगर निदेशालय को अपूर्ण प्रकरण प्रेषित किया गया तो उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना किये जाने के दोषी पाये जाने की स्थिति में संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिशिअ/जिशिअ(मु.)प्राशि के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसे अत्यंत गंभीरता से लें।

(नथमल डिडेल)
I.A.S
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा एवं पं.राज (प्राशि) विभाग
राजस्थान–बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, शासनन सचिवालय, जयपुर ।
3. सहायक निदेशक, सामान्य प्रशासन अनुभाग, कार्यालय हाजा ।

(पालाराम मेवता)
जिला शिक्षा अधिकारी
निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा
राजस्थान–बीकानेर

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) कोटा संभाग कोटा(राज0)

क्रमांकः– संयुनि/ को/सामान्य–4/2019–20/511 दिनांक :–14..11.2019

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक /प्रारम्भिक
कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़

मूल पत्र की प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि निर्देशानुसार पालना सुनिश्चित करें।

संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)
कोटा संभाग,कोटा